

प्रपत्र – 1
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना हेतु
आवेदन पत्र

प्रति,

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि,
विकास निगम लिमिटेड, रायपुर

आवेदक का
फोटो स्व
सत्यापित

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जाति (अनु.जाति/अनु.जाति/
पिछड़ा वर्ग/अन्य) :
4. लिंग (पुरुष/महिला) :
5. ग्राम का नाम :
6. विकासखण्ड :
7. जिला :
8. आवेदक से पत्र व्यवहार का पता :
9. STD कोड सहित फोन नं./ मोबाईल नम्बर :
- की जानकारी अवश्य दें
10. आधार कार्ड/वोटर आई.डी./अन्य आई.डी.नं. :
11. किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण –
बैंक का नाम :
कार्ड क्रमांक :
साख सीमा :
12. आवेदक की कुल जोत : खसरा नंबर क्षेत्र हैक्टेयर में
.....
.....
.....
कुल रकबा –
13. जोत के अनुसार कृषक की श्रेणी : सीमान्त / लघु / अन्य
14. आवेदक का खसरा नंबर, जिसमें :
सिंचाई स्रोत उपलब्ध है।

15. (अ) सिंचाई स्रोत का विवरण :
- नलकूप / कुंआ / तालाब / नदी-नाला(बारहमासी)
- (ब) क्या सिंचाई स्रोत में पंप स्थापित है :
- (स) यदि हां तो पंप का प्रकार :
- (विद्युत / डीजल) एवं क्षमता (एच.पी.)

16. वर्तमान में लगायी जा रही फसलों की : क्र. फसल का नाम हैक्टेयर
- जानकारी
-
-
-
-

17. वर्तमान में कृषक के पास माइक्रो इरीगेशन सुविधा उपलब्ध है, यदि हां तो निम्न प्रपत्र में जानकारी दें :-

क्र	खसरा नंबर	फसल का नाम	वर्तमान में माइक्रो इरीगेशन के अंतर्गत क्षेत्र हैक्टेयर में (ड्रिप / स्प्रिंकलर उल्लेखित करें)	माइक्रो इरीगेशन निर्माता कंपनी का नाम / ब्रांड नाम	यदि किसी योजना के अंतर्गत पूर्व में अनुदानलाभ लिया गया हो तो ली गई अनुदान राशि रूपयें में एवं अनुदान प्राप्ति का वर्ष
1	2	3	4	5	6

18. माइक्रो इरीगेशन योजनांतर्गत जिन फसलों में आवेदक ड्रिप / स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करना चाहता है, की जानकारी :-

क्र	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	उपलब्ध सिंचाई साधन	फसल का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र हैक्टेयर में	आवश्यक माइक्रो सिस्टम ड्रिप / स्प्रिंकलर
1	2	3	4	5	6	7

19. (अ) क्या कृषक द्वारा मृदा एवं सिंचाई जल का परीक्षण कराया गया है :- हां / नहीं
- (ब) यदि हां तो परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया जावे।

20. मैं उक्त प्रयोजन हेतु उल्लेखित

बैंक शाखा से ऋण लेना चाहता हूँ।

☐ बैंक का नाम

शाखा

आईएफएससी कोड क.

अथवा

स्ववित्तीय साधन से क्रय हेतु सक्षम हूँ।



(चयनित बाक्स में ✓ सही निशान लगायें)

21. कृषक द्वारा चयनित माइक्रो ईरीगेशन :

प्रदायक कंपनी का नाम :

22. योजना का नाम (राज्य पोषित/केन्द्र पोषित) :

23. उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी योजना से मेरे द्वारा पूर्व में अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा मैं प्रथम बार उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान का लाभ लेना चाहता/चाहती हूँ।

अथवा

मेरे द्वारा पूर्व में हेक्टेयर हेतु योजना का लाभ लिया गया है, मैं

हेक्टेयर में अतिरिक्त लाभ लेना चाहता/चाहती हूँ।

(जो लागू न हों उसे काट दे)

24. मैं सीजीबीकेवीएन द्वारा सूक्ष्म सिचाई पद्धति के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदायक द्वारा सूक्ष्म सिचाई पद्धति को स्थापित करने के लिए इच्छुक हूँ, एवं उनके द्वारा सर्वे के उपरान्त जो लागत/कीमत निर्धारित की जावेगी, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं उक्त के संबंध में सीजीबीकेवीएन को निर्णय हेतु अधिकृत करता/करती हूँ।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे ज्ञान से उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य निष्ठा से दी गई है। यदि कोई जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रदायक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम

सील सहित

ग्राम/पता

संलग्नक :-

आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज

क्र.	दस्तावेज के नाम	हां	नहीं
1.	भूमि संबंधी नवीनतम दस्तावेज (6 माह से अधिक पुराना नहीं) नक्शा/बी-1 खसरा पांच साला की नकल की प्रति संलग्न है।		
2.	ग्राम पंचायत की अनुशंसा (प्रपत्र-2)		
3.	योजना अंतर्गत प्राप्त ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम को आगामी तीन वर्षों तक किसी अन्य को विक्रय/दान अथवा अन्य किसी विधि से हस्तांतरित नहीं करने के आशय का स्व घोषणा पत्र। (प्रपत्र-3)		
3.	कोटेशन		
4.	ड्राईंग- डिजाइन		
5	आधार कार्ड/आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में (सरपंच प्रमाण पत्र/ड्रायडिंग लाइसेंस/राशन कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता परिचय पत्र/बैंक पासबुक/अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें आवेदक का फोटो हो)		
6.	जाति प्रमाण पत्र (सरपंच/पंच)		

नोट:- 1. इस योजना के अंतर्गत लघु/सीमांत/एवं अन्य कृषकों को प्रावधान अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

2. क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा योजना के प्रावधान अनुसार होगी।

प्रपत्र-2

ग्राम पंचायत की अनुशंसा

मैं (कृषक) श्री पिता/पति.....
जाति..... ग्राम को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा
प्रमाणित करता हूँ कि कृषक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेख जो परिशिष्ट पर
पटवारी द्वारा नकल रूप में दिये गये है, सही हैं। मैं कृषक को
उसकी मांग के अनुसार प्रदाय करने की अनुशंसा करता हूँ।

सरपंच /पंच
हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र – 3
समक्ष पब्लिक नोटरी छ.ग.

स्व-घोषणा पत्र

मैं पिता/पति.....
जाति ग्राम..... प.ह.न. विकासखण्ड
तहसील जिला छ.ग. का निवासी हूँ तथा निम्नांकित कथन
प्रस्तुत करता हूँ :-

1. यह कि मैं काश्तकार हूँ तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे.ग्राम प.ह.न.....
विकासखण्ड तहसील..... जिला..... छ.ग. में स्थित है।
2. यह कि मैंने कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि विभाग की योजना
के तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित/क्रय करना चाहता हूँ।
3. यह कि मैं उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान
प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर पर जो भी अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त होता है तो मैं
अनुदान पर क्रय की गई सामग्री को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास
विक्रय/गिरवी नहीं करूँगा/रखूँगा। यदि मैं शर्तों का उल्लंघन करता हूँ तो शासन को
नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करूँगा।
5. यह कि वसूली योग्य धन राशि मेरे द्वारा वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान मय ब्याज
के भू-राजस्व की बकाया की तरह मुझसे वसूल की जा सकेगी।

आवेदक

हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि घोषणा पत्र की
कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित सभी बातें सत्य व सही हैं। अतः आज दिनांक को
अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

आवेदक

हस्ताक्षर

नाम.....

गवाह :- 1.
2.

संतुष्टि प्रमाण-पत्र

(सामग्री के सत्यापन एवं ट्रायल रन उपरान्त कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जावे)

मैं पिता/पति ग्राम
विकासखण्ड तहसील..... जिला..... छ.ग. यह
प्रमाणित करता हूं कि मैंने कृषि विभाग के योजनांतर्गत अनुदान पर पंजीकृत प्रदायक/
संस्था से बैंक ऋण/स्व वित्त पर ब्राण्ड का
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम क्रय किया है, जिसकी गुणवत्ता से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। अतः
यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। यह है कि मैंने ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना हेतु कृषक अंश
राशि रु. (अक्षरी राशि रु.) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास
निगम लिमि., रायपुर के खाता में दिनांक को जमा कर दिया है।

अतः संबंधित प्रदायक/कम्पनी..... को भुगतान
करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम.....

पूर्ण पता.....